

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.07(80)राज/वाद/18

जयपुर, दिनांक 20/02/2020

:: आदेश ::

इस विभाग एवं अधीनस्थ (नीचे अंकित सूची के कॉलम संख्या-2 में वर्णित) कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में वर्णितानुसार नियमित वेतन श्रृंखला के शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध मशीन विद मैनु की संविदा सेवायें कार्यात्मक आवश्यक के आधार पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 28.02.2021 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, तक लिये जाने की सहमति/स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	नियमित वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1	निदेशालय, विधि(राजकीय वादकरण) शासन सचिवालय, जयपुर	02
2	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर	04
3	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	07
4	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर	08
5	अपर लोक अभियोजक, सं०2, किशनगढ़ बास, अलवर	01
6	अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़, चूरु	01
7	अपर लोक अभियोजक, लालसोट, जिला दौसा	01
8	लोक अभियोजक, धौलपुर	01
9	अपर लोक अभियोजक, बाड़ी, जिला धौलपुर	01
10	विशिष्ट लोक अभियोजक, (POCSO) जयपुर, जिला जयपुर	01
11	अपर लोक अभियोजक संख्या-8, जयपुर महानगर	01
12	अपर लोक अभियोजक संख्या-19, जयपुर महानगर, (मु० सांगानेर)	01
13	अपर लोक अभियोजक संख्या-20, जयपुर महानगर (मुख्यालय चौमू)	01
14	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) जयपुर	01
15	विशिष्ट लोक अभियोजक (साम्प्रदायिक दंगे) जयपुर	01
16	अपर लोक अभियोजक संख्या-2, जयपुर जिला, जयपुर	01
17	अपर लोक अभियोजक, शाहपुरा जयपुर	01
18	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) झालावाड़	01
19	विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) कोटा	01
20	लोक अभियोजक, प्रतापगढ़	01
21	अपर लोक अभियोजक, मालपुरा, टोंक	01
22	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) टोंक	01
	शीघ्रलिपिकों के कुल रिक्त पदों की संख्या	39

उक्त संविदा सेवायें लेते समय तत्सम्बन्धी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं/आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों तथा इस सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया

 20/2

जावेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (Individual) व्यक्तियों की सेवाएं अनुबंधित नहीं की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या-332000126 दिनांक 17.02.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

नोट:- 1. क्रम संख्या-1 से 4 में वर्णित कार्यालयों में उक्त संविदा सेवायें सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा एवं क्रम संख्या-5 से 22 में वर्णित कार्यालयों में संविदा सेवायें सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।

आज्ञा से,

हो

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय महाधिवक्ता, राज0 जयपुर।
2. अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर.....।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
11. रक्षित पत्रावली।


(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण